न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:— 12/162/2024 रजू दिनांक: 05.12.2024 रजि0 न0 2024/275

अपीलार्थी:—

सुश्री प्रियंका पुत्री श्री लल्लूराम मीना, निवासी बगड राजपूत, तहसील रामगढ़, जिला अलवर—301026 (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

——:: निर्णय ::——

दिनांक:— 23.12.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम,2005) की धारा—6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 24.10.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.12.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/2366 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 24.10. 2024 के परिपेक्ष्य मे किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन प्रस्तुत किया है। उक्त के संबंध में अनुरोध है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन संख्या 293824213583644 दिनांक 24.10..2024 के माध्यम से सिद्वि—विनायक कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड एच.आर. एजुकेशन, अलवर से बी.एड. फीस रिफण्ड के संबंध में संबंधित कॉलेज की ई—मेल आई.डी. पर प्रस्तुत ई—मेल के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत सूचना इस लोक प्राधिकरण से चाही गई है जो कि इस लोक प्राधिकरण से कहीं भी सम्बद्व नहीं है और ना ही नियंत्रणधीन/अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी कार्यालय है। अपीलार्थी को चाहिए कि वो संबंधित संस्थान को सीधे ही समुचित आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करें अथवा उनके उच्च शिक्षण संस्थान को शिकायत प्रसतुत करें। इस लोक प्राधिकरण से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। तद्नुसार ऑनलाईन पोर्टल पत्रांक 8144465899 दिनांक 12.12.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं0 8144465899 दिनांक 12.12.2024 के माध्यम से सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकी है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि कमांक 2366 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)